कार्यालय छावनी परिषद्, बबीना

अति अल्पकालीन कुटेशन आंमत्रण
ट्रेक्टर मय हाइड्रोलिक ट्राली के किराये पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

सूचित करना है कि इस कार्यालय को छावनी सैन्य/सिविल क्षेत्र से कचड़ा उठाकर ट्रेंचिग ग्राउन्ड में खाली करने हेतु 03 ट्रेक्टर मय हाइड्रॉलिक ट्राली, ड्राईवर व डीजल सहित किराये पर आवश्यकता है जिसकी संख्या आवश्यकतानुसार घट अथवा बढ़ सकती है। विषयक कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपनी दरें दिनॉक 19.05.2018 को सांय 04:00 बजे तक अपने लेटर पैड पर नीचे दिये गये प्रपत्रों के साथ सील्ड बन्द लिफाफे में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें जो उसी दिन सांय 04:30 बजे उपस्थिति कुटेशनदाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

अन्य नियम व शर्तें निम्न प्रकार है: –

1. कुटेशनदाता को कुटेशन के साथ स्वयं सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज/कागजात संलग्न करने होगें:–
   - (क) सत्यापित पेन कार्ड की छायाप्रति
   - (ख) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति
   - (ग) रूपये 20,000.00 (रूपये बीस हजार मात्र) धरोहर राशि मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद्, बबीना के पक्ष में देय एफ.डी.आर./टी.डी.आर.।
   - (घ) स्थानीय थाने का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की मूल प्रति
   - (ग) कुटेशनदाता को इस आशय का भी प्रमाण पत्र देना होगा कि इस कार्यालय में आपके परिवार, नजदीकि रिश्तेदार अथवा निर्वाचित सदस्य नही है।
   - (ड़) एड्रस प्रूफ
   - (च) 02 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
2. सफल कुटेशनदाता को छोड़कर शेष की धरोहर राशि इस कार्यालय द्वारा वापस कर दी जायेगी।
3. ट्रेक्टर मय हाइड्रोलिक ट्राली अच्छी व चालू हालत में होना चाहिये।
4. ट्रेक्टर का व्यावसायिक कर संभागीय राज्य परिवहन अधिकारी के यहाँ जमा करने की जिम्मेदारी कुटेशनदाता की स्वयं की होगी।
5. ट्रेक्टर का बीमा, रख–रखाव इत्यादि कुटेशनदाता को स्वयं को करना होगा।
6. ड्राईवर का ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेक्टर चलाने के लिये संभागीय राज्य परिवहन अधिकारी के यहाँ से पात्र होना आवश्यक है।
7. इस कार्यालय द्वारा उक्त कार्य से सम्बन्धित कोई भी सुविधा जैसे डीजल, ऑयल, बीमा, व्यावसायिक कर, रख रखाव, ड्राइवर इत्यादि नही दिया जायेगा इन सभी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कुटेशनदाता की स्वयं की होगी।
8. श्रम विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों, व्हीकल एक्ट में निहित प्रावधानों का पालन, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करों, जी.एस.टी. इत्यादि को जमा करने तथा इससे सम्बन्धित सूचनाये भरने इत्यादि की जिम्मेदारी कुटेशनदाता की स्वयं की होगी।
9. यदि कुटेशनदाता के वाहन द्वारा अथवा ड्राईवर द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी अथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति का नुकसान होता है अथवा टूट–फूट या दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कुटेशनदाता की स्वयं की होगी।
10. जितने दिन कुटेशनदाता का वाहन चलेगा तथा संतोषजनक कार्य करेगा उतने ही दिन का भुगतान इस कार्यालय द्वारा कुटेशनदाता को किया जायेगा।
11. कुटेशनदाता को अपने कुटेशन में एक ट्रेक्टर मय हाइड्रोलिक ट्राली की दरें ड्राईवर, डीजल सहित प्रति ट्रेक्टर प्रति दिन अंको व शब्दों में स्पष्ट अंकित करनी होगी।
12. सफल कुटेशनदाता को रूपये 100.00 (रूपये सौ मात्र) मूल्य का नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर अनुबन्ध हेतु जमा करना होगा।

क्रमशः 2

13. सम्पूर्ण कार्य के दौरान कुटेशनदाता को इस कार्यालय से प्राप्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है तथा समय–समय पर प्राप्त निर्देशों का भी पालन करना होगा।
14. सशर्त दरें मान्य नही होगी।
15. इस कार्यालय द्वारा कुटेशनदाता को बिना किसी पूर्व सूचना दिये कभी भी कार्य समाप्त किया जा सकता है।

पत्राँक एफ4/5005/ट्रेक्टर/226
कार्यालय छावनी परिषद्, बबीना
दिनाँक 15 मई, 2018

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, बबीना
(अभिषेक आजाद)
आईडीईएस